

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2022—ज्येष्ठ 26, शक 1944

खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 16 जून 2022

“शुद्धि-पत्र”

क्र. एफ 19-7-2021-बारह-1.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-19-7-2021-बारह-1, दिनांक 8 अप्रैल, 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में (असाधारण) क्रमांक 159 दिनांक 8 अप्रैल, 2022 के पृष्ठ क्रमांक 318(15) पर नियम 19 के उप-नियम (1) में प्रारंभिक वाक्यांश में, शब्द “नियम 2019” एवं शब्द “अथवा” के बीच शब्द “या इन नियमों के अधीन” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.